



राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर


सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-4004914

क्रमांक: एफ ()/रा.स्टेट अ.है.कौ/परीक्षा/2025/28

दिनांक:- 03/02/2025

कार्यालय आदेश


राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर द्वारा NCAHP Act No 14, 2021 के Notification Chapter 3 के तहत वरिष्ठ सदस्य, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 16.01.2025 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 45 दिनांक 27.01.2025 के एजेण्डा संख्या 22 में लिये गये निर्णयानुसार कौंसिल द्वारा कॉलेज/संस्थान द्वारा स्वयं से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के एनरोलमेन्ट ऑनलाईन आवेदन को निर्धारित समयावधि में नहीं भरे जाने, अभ्यर्थियों के परीक्षाओं के ऑनलाईन आवेदन पत्र को निर्धारित समयावधि में सत्यापित कर कौंसिल को नहीं भिजवाये जाने एवं अभ्यर्थियों के इन्टर्नल मार्क्स को निर्धारित समयावधि में पार्टल पर ऑनलाईन नहीं अपलोड किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कॉलेज/संस्थान द्वारा उपरोक्त कार्य निर्धारित दिनांक तक नहीं किये जाने पर सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज पर प्रति विषय 5000/- एवं निर्धारित दिनांक से 07 दिवस पश्चात् प्रतिदिन 1000/- प्रति विषय शास्ति देय होगी।


(उत्तम सिंह शेखावत)
आर.ए.एस.
सचिव

क्रमांक: एफ ()/रा.स्टेट अ.है.कौ/परीक्षा/2025/28
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर।
4. परीक्षा शाखा/संस्थापन शाखा/लेखा शाखा राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर।
5. Micronics Infotech Services Pvt. Ltd. Ajmer.
6. समस्त संस्थान/कॉलेज (राजकीय/निजी) राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

दिनांक:- 03/02/2025


(परीक्षा नियंत्रक)
राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड
हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर